न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)
अग्रिम जमानत आवेदन– 135/26
इस्लामपुर थाना काण्ड सं0– 658/25

जितु उर्फ गौरव कुमार.....आवेदक
बनाम
बिहार सरकार.....विपक्षी

12/03/2026 आवेदक (1) जितु उर्फ गौरव कुमार उम्र 25 वर्ष, पिता पवन सिंह, सा0– भारतीपुर, पो0– भरौन्धा, थाना गुरुआ, जिला गया की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री युगल प्रसाद द्वारा संचालित किया गया। आवेदक इस्लामपुर थाना काण्ड सं0– 658/25, दिनांक 20/12/2025 धारा– 137(2), 3(5) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि आवेदक की ओर से इसके पूर्व श्रीमान् के न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक निर्दोष वो बेकसुर व्यक्ति है। आवेदक को इस मुकदमा में सिर्फ संदेह के आधार पर झूठा फंसाया गया है तथा लगाये गये आरोप सरासर झूठा वो बेबुनियाद है। आवेदक का घर घटना स्थल से लगभग 80–90 कि0मि0 की दूरी पर है। आवेदक का परिवार सूचक के गॉव में रहता है उसी के वजह से संदेह के आधार पर झूठा फंसाया गया है। सूचक की लड़की वर्तमान में उसके पास ही रह रही है तथा सूचक की लड़की गुनगुन कुमारी का मेडिकल जॉच नहीं कराई गई है। सूचक की लड़की का माननीय न्यायालय में बी0एन0एस0एस0 की धारा– 183 का बयान दर्ज कराया जा चुका है। प्राथमिकी में जैसी बातें कही गई है वैसी कोई घटना आवेदक ने नहीं किया है। आवेदक का पूर्व का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दफा 482(2) बी0एन0एस0 के नियमों का पालन करने तथा न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः इन्हें किसी भी राशि के अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का प्रार्थना किया गया।

विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जमानत खारिज करने की प्रार्थना की गई।

सूचिका नीलू देवी द्वारा थाना में दिए गए आवेदन के अनुसार संक्षेप में यह है कि दिनांक 20/12/2025, दिन शनिवार को सुबह समय करीब 7:00 बजे सूचिका की पुत्री गुनगुन कुमारी अपने घर से कोविल सूर्य मंदिर पर पूजा करने गई थी। इसी बीच भागलपुर दलित टोला एवं सूर्य मंदिर कोबिल के बीच रास्ते में पहले से घात लगाकर जितु उर्फ गौरव कुमार, शिवम कुमार के द्वारा जबरदस्ती पुत्री को गलत नियत से अपने गाड़ी दो पहिया वाहन पर बैठाकर ले भागा। सूचिका को संदेह है कि उसके पुत्री के साथ गलत व्यवहार या शादी या कही भी ले जाकर बेच देने का काम अपहरणकर्ता द्वारा किया जा सकता है या उसकी पुत्री की हत्या भी किया जा सकता है। दिनांक 14/12/2025 दिन रविवार को जितु उर्फ गौरव कुमार ने अपने मो0 नं0– 6201606410 से उसके पुत्र नितिश कुमार के मो0 नं0– 8235175174 पर फोन कर गाली–गलौज व धमकी देते हुए कहा था कि तुम्हारी बहन को दस दिन के अंदर में उठा लूँगा और तुम्हें भी जान मार दूँगा।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। यद्यपि कि यह काण्ड आवेदक के विरुद्ध धारा– 137(2), 3(5) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है, परन्तु प्राथमिकी एवं काण्ड दैनिकी के समग्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपहृता/पीड़िता एक नावालिग बालिका है तथा उसके द्वारा

अग्रिम जमानत आवेदन– 135/26
इस्लामपुर थाना काण्ड सं0– 658/25

अपने बयान अन्तर्गत धारा– 181 एवं 183 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत आवेदक के विरुद्ध स्पष्टतः यह बयान दिया गया है कि आवेदक द्वारा उसे बहला–फुसला कर पीड़िता के गॉव से क्रमशः पटना एवं दिल्ली लेकर चला गया तथा दिल्ली में एक कमरे पर पीड़िता की मर्जी के खिलाफ जबर्दस्ती शारीरिक संबंध भी बनाया तथा पीड़िता को करीब आठ दिनों तक दिल्ली में रखे रहा।

उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, पीड़िता के नावालिग होने, तथा उसके साथ उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए जाने की घटना को दृष्टिगत रखते हुए, यह काण्ड दर्ज की गई धाराओं से गंभीर प्रकृति की धाराओं को आकर्षित करता है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत को **खारिज** किया जाता है।

(लेखापित एवं संशोधित)

(दीपक कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)